सुपौल जिलान्तर्गत विश्व बैंक ऋण सम्पोषित फेज–2 अन्तर्गत निर्मली बाजार–पूरब क्वेटापट्टी से निर्मली बाजार जाने वाले नदी पर स्क्रू पाईप पुल के बगल में आर०सी०सी० पुल (पैकेज संख्या 38A) एवं पहुँच पथ निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण के संदर्भ में सामाजिक–आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन

(निर्मली प्रखण्ड के निर्मली मौजा का अध्ययन)

प्रायोजक

जिला भू–अर्जन विभाग
जिला–सुपौल, बिहार सरकार

परियोजना निदेशक

बी० एन० प्रसाद

आयोजक

अनुग्रह नारायण सिंह समाज अध्ययन संस्थान
पटना–800 001

धन्यवाद ज्ञापन

इस प्रकार का अध्ययन प्रायः बहुत ही श्रमसाध्य होता है, जिसमें अनेक लोगों की सहायता एवं सहयोग का समावेश होता है। अध्ययन सम्पन्न होने के तदोपरान्त उनके प्रति आभार प्रकट करना इस कार्य में उनकी उपयोगिता एवं महत्ता को दर्शाता है।

इस अध्ययन के प्रत्येक स्तर की प्रक्रिया में सहयोग एवं सहायता के लिए अनुग्रह नारायण सिंह समाज अध्ययन संस्थान, पटना के निदेशक, कुल सचिव एवं अन्य कर्मचारियों का आभारी हूँ। इस अध्ययन में मो० सद्रद्दीन और श्री आर्यन ने सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न कर आँकड़ों का संग्रहण किया है। डा० एस० पी० जायसवाल का भी आभार, जिन्होंने द्वैतीयक सामग्री के संकलन और प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने में मेरी सहायता की है।

परियोजना प्रभावित परिवारों, ग्रामवासियों, स्थानीय प्रतिनिधियों एवं जिला के भू–अर्जन पदाधिकारियों के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने सम्पूर्ण क्षेत्र भ्रमण के दौरान अध्ययन दल पर विश्वास बनाये रखा और उनकी सहायता की।

मैं जिला भू–अर्जन कार्यालय, सुपौल समाहरणालय, सुपौल (बिहार) का ऋणी हूँ, जिन्होंने परियोजना सम्पन्न करने के लिए धन–राशि और पर्याप्त समय उपलब्ध कराया। इस प्रतिवेदन में कमी और त्रुटियों की सम्पूर्ण जिम्मेवारी मेरी है।

बी० एन० प्रसाद

सर्वेक्षित क्षेत्र का मानचित्र – सुपौल जिला

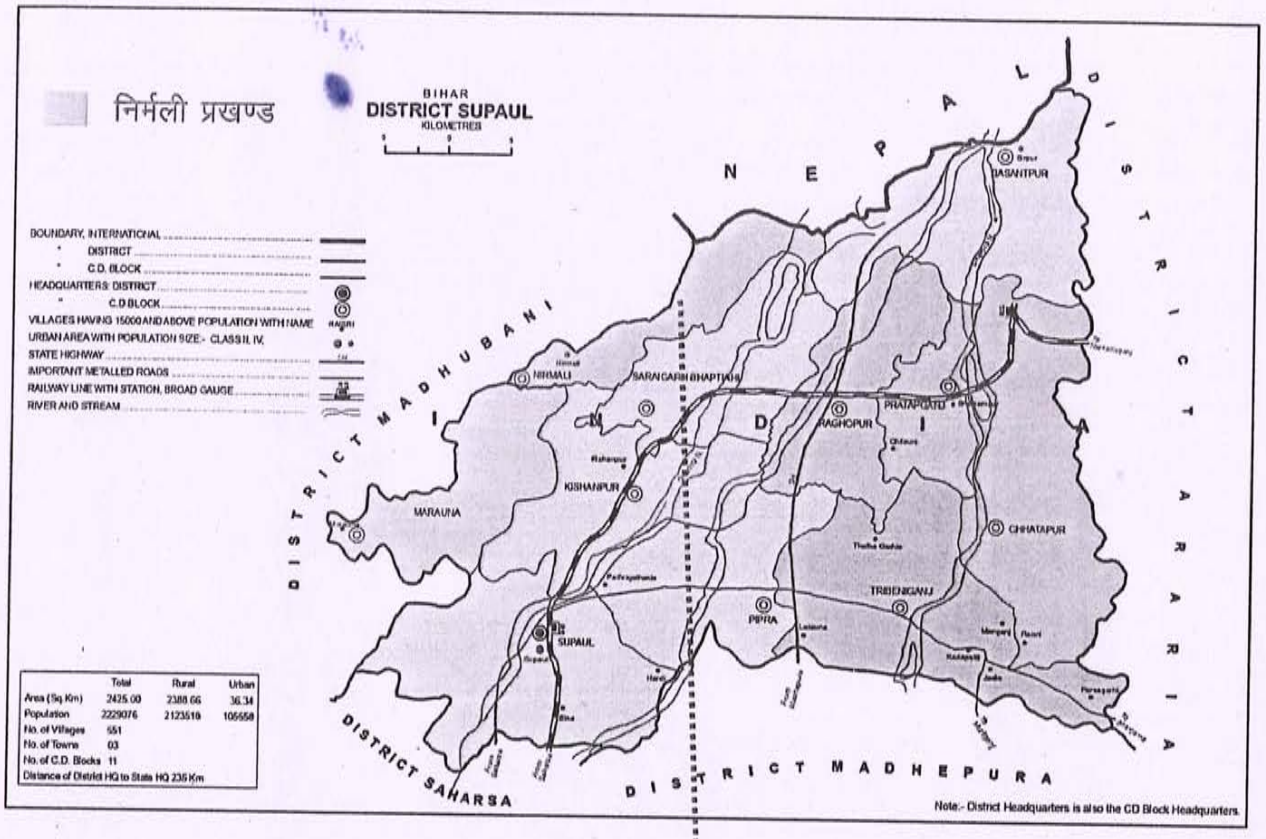

निर्मली मौजा

तालिकाओं की सूची

	पृष्ठ संख्या
तालिका 1.1: उत्तरदाताओं की संख्या	21
तालिका 2.1: बिहार में ग्रामीण–शहरी एवं पुरूष–महिला कर्मियों की जनसंख्या	28
तालिका 2.2: बिहार में दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक कर्मियों का वर्गीकरण	28
तालिका 2.3: सुपौल जिला में ग्रामीण–शहरी एवं पुरूष–महिला कर्मियों की जनसंख्या	33
तालिका 2.4: सुपौल जिला में दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक कर्मियों का वर्गीकरण	33
तालिका 2.5: निर्मली प्रखण्ड में ग्रामीण–शहरी एवं पुरूष–महिला कर्मियों की जनसंख्या	34
तालिका 2.6: निर्मली प्रखण्ड में दीर्घकालिक एवं अल्पकालिक कर्मियों की जनसंख्या	35
तालिका 3.1 प्रभावित परिवारों का वर्गीकरण	36
तालिका 3.2.1 लिंग के आधार पर प्रभावित परिवारों के उत्तरदाताओं का वर्गीकरण	36
तालिका 3.2.2 आयु वर्ग के आधार पर प्रभावित परिवारों के उत्तरदाताओं का वर्गीकरण	37
तालिका 3.2.3: धर्म के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण	37
तालिका 3.2.4: जाति श्रेणी के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण	37
तालिका 3.2.5: शिक्षा के आधार पर प्रभावित परिवारों के उत्तरदाताओं का वर्गीकरण	38
तालिका 3.2.6 परिवार का आकार के आधार प्रभावित परिवारों का वर्गीकरण	38
तालिका 3.2.7 लिंग के आधार पर प्रभावित परिवारों के सदस्यों का वर्गीकरण	38
तालिका 3.2.8 आयु वर्ग के आधार पर प्रभावित परिवारों के सदस्यों का वर्गीकरण	39
तालिका 3.2.9 शिक्षा के आधार पर प्रभावित परिवारों के सदस्यों का वर्गीकरण	39
तालिका 3.2.10: सर्वेक्षित मौजों में प्रभावित परिवारों के लिए उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाएँ	40
तालिका 3.2.11: बीमारी के दौरान इलाज के लिए प्रभावित परिवारों की प्राथमिकता	40
तालिका 3.2.12: सरकारी अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं के प्रति जागरूकता(केवल हाँ उत्तरदाता)	40
तालिका 3.2.13: सरकारी अस्पताल में परियोजना प्रभावित परिवारों के साथ डॉक्टरों का व्यवहार	41
तालिका 3.2.14: बच्चों के जन्म के लिए परियोजना प्रभावित परिवारों की प्राथमिकता	41
तालिका 3.3.1: कार्ड के प्रकार के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण	42
तालिका 3.3.2: पेशा के आधार पर परियोजना प्रभावित परिवार के सदस्यों का वर्गीकरण	42
तालिका 3.3.3: वार्षिक आय के आधार पर परियोजना प्रभावित परिवारों का वर्गीकरण	43
तालिका 3.3.4: सरकारी कार्यक्रमों में सहभागिता (केवल हाँ उत्तरदाता)	43
तालिका 3.3.5: आश्रित व्यक्ति के आधार पर प्रभावित परिवार के सदस्यों का वर्गीकरण	43
तालिका 3.3.6: परियोजना प्रभावित परिवारों में ऋणग्रस्तता की स्थिति	43
तालिका 3.3.7: अपनी खेती से वार्षिक खाद्य भण्डार के आधार पर प्रभावित परिवारों का वर्गीकरण	44
तालिका 3.3.8: परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए वर्षभर वस्त्रों की उपलब्धता	44
तालिका 3.4.1: क्या आपके परिवार में निःशक्त व्यक्ति है	44
तालिका 3.5.1: परिवार में महिलाओं की स्थिति के आधार पर परियोजना प्रभावित परिवारों का वर्गीकरण	45
तालिका 3.5.2: महिलाओं के कार्य के आधार पर प्रभोवित परिवारों का वर्गीकरण	45
तालिका 3.5.3 महिलाओं की वार्षिक आय के आधार पर प्रभावित परिवारों का वर्गीकरण	45
तालिका 3.5.4: महिलाओं की आर्थिक आमदनी (रू०) को खर्च करने का मद	46
तालिका 3.5.5: परिवारिक मुद्दे पर निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी	46
तालिका 3.5.6: परिवारिक निर्णय में महिलाओं का सहभागिता दर	46
तालिका 3.5.7: मौजा में महिलाओं एवं बच्चे के लिए विशेष स्थान की उपलब्धता	47

तालिका 3.8.1: परियोजना प्रभावित परिवारों के निर्वाचित सदस्यों का विवरण 47
तालिका 3.8.2: परियोजना प्रभावित परिवारों के महिला सदस्यों की चुनाव में भागीदारी 47
तालिका 3.8.3: मतदान की प्राथमिकता को प्रभावित करने वाले कारक 48
तालिका 3.10.1: कृषि भूमि की स्थिति एवं आय 48
तालिका 3.10.2: परियोजना प्रभावित परिवारों में स्वयं सहायता समूह संबंधी विवरण 49
तालिका 3.10.3 कृषि उपकरण की उपलब्धता 49
तालिका 3.10.4: परियोजना प्रभावित परिवारों में प्रवास की स्थिति 49
तालिका 3.10.6.1: परियोजना प्रभावित परिवारों को जन वितरण प्रणाली से लाभ 50
तालिका 3.11.1: स्वयं के यातायात की उपलब्धता के आधार पर प्रभावित परिवारों का वर्गीकरण 50
तालिका 3.11.2 परियोजना प्रभावित परिवारों में उपलब्ध घरेलू उपयोग की वस्तुएँ 51
तालिका 3.12.1: उत्तरदाताओं द्वारा उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग (केवल हाँ प्रतिक्रिया) 51
तालिका 3.12.2: पेयजल श्रोतों की उपलब्धता 52

तालिका 4.3: सर्वेक्षित मौजों पर परियोजना का समग्र प्रभाव 54
तालिका 4.4: सार्वजनिक सम्पति संसाधन की क्षति (केवल हाँ उत्तर) 54
तालिका 4.5: परियोजना शुरू होने के बाद प्राकृतिक संसाधनों पर प्रभाव (केवल हाँ उत्तर) 55
तालिका 4.6 शिक्षा पर प्रभाव (केवल हाँ उत्तर) 55
तालिका 4.7: परियोजना प्रभावित परिवारों के जीवन शैली पर प्रभाव (केवल हाँ उत्तर) 56
तालिका 4.8: आवास की सुविधाओं पर प्रभाव 56
तालिका 4.9: भूमि–अधिग्रहण के पश्चात प्रवास एवं पर्यावरण पर प्रभाव 56
तालिका 4.10: परियोजना के कारण महिला कृषि श्रम पर प्रभाव 57
तालिका 4.11: भू–अर्जन के पश्चात् रोजगार के अवसर पर प्रभाव 57
तलिका 4.12: लिंग आधारित प्रभाव 57
तालिका 4.13: दुर्बल समह 58

कार्यकारी सारांश

भारत में भूमि अधिग्रहण प्रमुख समस्याओं में से एक है। जनसंख्या वृद्धि और तीव्र शहरीकरण, लोगों की बुनियादी जरुरतों को पूरा करने के लिए ढाँचागत विकास हेतु मार्ग दिखाता है। वास्तव में विकास परियोजना, विस्थापित होने वाले व्यक्तियों के साथ–साथ समाज में समग्र आर्थिक लाभ लाने का प्रयास करता है। इस तरह की विकास परियोजना में प्रभावित व्यक्ति चाहे मालिकाना अधिकार वाले अथवा अनौपचारिक रूप से रहने वाले हों, उन्हें आवश्यक रुप में चिन्हित किया जाना चाहिए और उन्हें लाभार्थियों का एक अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। दूसरी ओर विकास परियोजना की सफलता प्रभावित लोगों की स्वैच्छिक सहयोग पर निर्भर करता है। इस प्रकार की परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों में किसी भी प्रकार की दरिद्रता, अनिवार्य रुप से न केवल परियोजना लक्ष्य में सभी नागरिकों की स्थिति में अच्छी तरह से समग्र वृद्धि हेतु विफल माना जाएगा, बल्कि परियोजना लक्ष्य प्राप्ति के सरल निस्पादन में भी बाधा माना जाएगा।

विकास परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य लोगों की स्थिति में सुधार करना है। इस प्रकार की परियोजनाओं का परिणाम कुछ समूहों पर नकारात्मक हो सकता है, खासकर जिनकी उत्पादक परिसम्पत्तियाँ परियोजना के हिस्से के रुप में अधिकारियों के द्वारा अधिगृहित कर लिया जाता है। यह तभी घटित होता है, जब परियोजना के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। परिणामस्वरुप यह भूमि पर रहनेवालों, उस पर काम करने वाले अथवा भूमि से किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करने वालों और इससे संबंधित संसाधनों को क्षतिग्रस्त बनाता है। ऐसे लोग अनायास विस्थापित हो जाते हैं और उन्हें मुआवजा देने और पुनर्वासित करने की जरूरत है (माइकल, 2003)।

विकास परियोजनाएँ आर्थिक आधुनिकीकरण का अनिवार्य हिस्सा है। सिंचाई, बिजली, खनन, सड़क, रेलवे, सार्वजनिक भवन आदि प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ इन परियोजनाओं को लागू किया जाता है। ऐसे प्रत्येक परियोजनाओं में कुछ हेक्टेयर से लेकर सैकड़ों हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की जरुरत होती है। ये परियोजनाएँ राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण है, फिर भी वे स्थानीय निवासियों के एक बड़े वर्ग को प्रतिकूल रुप से प्रभावित करते हैं। परियोजना कार्यान्वयन के कारण विस्थापन काफी तीव्रता के साथ होता है। अतः परियोजना प्रभावित व्यक्तियों एवं परिवारों के अनैच्छिक पुनर्स्थापन के आघात को कम करने एवं मजबूत उत्पादकता के आधार पर उनके पुनर्स्थापन के लिए एक सबल पुनर्वास कार्य योजना के निर्माण की आवश्यकता है।

यह अध्ययन गाँव और ग्रामीणों के सामाजिक–आर्थिक विवरण और सुपौल जिलान्तर्गत विश्व बैंक ऋण सम्पोषित फेज–2 अन्तर्गत निर्मली प्रखण्ड में निर्मली बाजार–पूरब क्वेटापट्टी से निर्मली बाजार जाने वाले पथ में तिलयुगा नदी पर स्क्रू पाईप पुल के बगल में आर०सी०सी० पुल (पैकेज संख्या 38A) एवं पहुँच पथ निर्माण से प्रभावित होनी की सम्भावनाओं पर केन्द्रित है और यह मुआवजा और व्यक्तियों के संतुष्टि के स्तर के मुद्दों की जाँच करता है।

1.1 परियोजना विवरण

विकास प्रक्रिया के अन्तर्गत, बिहार सरकार ने भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (RFCTLARR ACT, 2013) और बिहार भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार नियमावली, 2014 (BRFCTLARR Rules 2014) के तहत वरीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड,पटना के अनुरोध पर सुपौल जिलान्तर्गत विश्व बैंक ऋण सम्पोषित फेज–2 अन्तर्गत निर्मली प्रखण्ड में निर्मली बाजार–पूरब क्वेटापट्टी से निर्मली बाजार जाने वाले पथ में तिलयुगा नदी पर स्क्रू पाईप पुल के बगल में आर०सी०सी० पुल (पैकेज संख्या 38A) एवं पहुँच पथ निर्माण के लिए भूमि अर्जन को प्रस्तावित किया है। इस संदर्भ में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सुपौल ने अपने पत्र संख्या 522–2/भू–अर्जन दिनांक 19/05/2022 के माध्यम से अनुग्रह नारायण सिंह समाज अध्ययन संस्थान, पटना को उल्लेखित परियोजना के लिए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन आयोजित करने के लिए आग्रह किया।

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक संख्या 522–2/भू–अर्जन दिनांक 19/05/2022 के अनुसार, उपर्युक्त परियोजना हेतु सुपौल जिले के निर्मली प्रखण्ड के निर्मली मौजा (थाना नं०–97) से 4.75 एकड़ अधिग्रहण करने का प्रस्ताव है।

वर्तमान अध्ययन प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति, उनके विचार, आजीविका के तरीके और आर्थिक सशक्तिकरण एवं विकास के नये अवसर की जाँच की गयी है।

1.2 अध्ययन के उद्देश्य

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के लिए एक उपयुक्त पुनर्वास कार्य योजना तैयार करने लिए, आवश्यक आँकड़े और जानकारी प्राप्त करने हेतु आधारभूत सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण आयोजित करना है। अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार हैं–

- परियोजना से प्रभावित कुल जनसंख्या एवं गाँवों का पता लगाना;
- परियोजना प्रभावित व्यक्ति और परियोजना प्रभावित परिवारों के आधारभूत जनसांख्यिकीय और सामाजिक–आर्थिक आँकड़ों को संकलित करना;
- प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति एवं प्रभावित परिवार से विभिन्न प्रकार के होने वाली क्षति का पता लगाना और पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास (आर. एण्ड आर.) नीति के अनुसार उन्हें अलग–अलग लाभों को प्रदान करने के लिए सुझाव प्रस्तुत करना;
- पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास (आर. एण्ड आर.) कार्यक्रमों के मूल्यांकन के लिए आधारभूत आँकड़े उपलब्ध कराना;
- यह सुनिश्चित करना कि पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास कार्यक्रम में कोई भी प्रभावित व्यक्ति और प्रभावित परिवार न छुटे अथवा कोई भी दुर्बल समूह नजर अन्दाज न हो;

- पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति में प्रभावित परिवारों के लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से उनके लिए विकल्पों का पता लगाना;
- परियोजना के प्रति लोगों की प्रतिक्रियाओं को समझने और पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास के लिए उनकी प्राथमिकताओं का पता लगाना; और
- प्रभावित जनसंख्या के जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु पुनर्वासं कार्य योजना के लिए सुझाव उपलब्ध कराना।

1.3 अध्ययन पद्धति

आँकड़े एवं इसके श्रोत : वर्तमान अध्ययन प्राथमिक एवं द्वैतीयक श्रोतों से प्राप्त आँकड़ो पर आधारित है, प्राथमिक आँकड़े असहभागी अवलोकन और अर्द्ध संरचित साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से एकत्रित किया गया है। खासकर भूमि के संबंध में द्वैतीयक आंकड़े राजस्व अधिकारियों से एकत्रित किए गए हैं। जनसांख्यिकीय विशेषताओं के लिए ऑकड़े जनगणना आलेख के साथ–साथ मतदाता सूची से भी एकत्र किए गए है। अध्ययन से संबंधित आँकड़े एकत्रित करने के लिए अध्ययन दल ने डी.आर.डी.ए., ग्राम पंचायत जैसे विकास एजेंसियों का दौरा कर किया है। अनुभवी एवं सुयोग्य क्षेत्र कर्मियों को समुचित प्रशिक्षण के तदोपरान्त यथोचित ढंग से विकसित प्रश्नावली के माध्यम से आँकड़े एकत्र करने के लिए लगाए गए है। इस सन्दर्भ में गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिवेदन, इस विषय पर उपलब्ध पुस्तकें एवं आलेख, योजना आयोग और विभिन्न विकास परियोजनाओं के प्रतिवेदन का भी उपयोग किया गया है।

उपकरण एवं तकनीकः अध्ययन उद्देश्य के अनुरूप प्रभावित परिवारों से जानकारी प्राप्त करने के लिए एक साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण किया गया। परिवार के सामाजिक–आर्थिक विवरण के लिए प्रत्येक प्रभावित परिवार से सम्पर्क एवं साक्षात्कार किया गया। इसके अतिरिक्त चयनित गाँवों में बुनियादी सुविधाओं की प्रकृति और उपलब्धता की जाँच के लिए एक गणना अनुसूची तैयार किया गया। सामुहिक परिचर्चा और सहभागितापूर्ण ग्रामीण मूल्यांकन तकनीक के दो महत्वपूर्ण उपकरण है जिसका उपयोग सामुदायिक स्तर के आँकड़े, जैसे– गाँव का विवरण, सामाजिक और संसाधन मानचित्र प्राप्त करने के लिए अध्ययन क्षेत्र में किया गया।

नमूनाः यह अध्ययन सुपौलजिले के निर्मली प्रखण्ड के निर्मली मौजा में आयोजित किया गया है। इस अध्ययन में अधिकतम संख्या में परियोजना प्रभावित परिवारों को शामिल किया गया है। नमूने का आकार 16 है। नमूने की विस्तृत जानकारी नीचे की तालिका में दी गयी है–

तालिका 1.1: उत्तरदाताओं की संख्या

जिला	प्रखण्ड	मौजा	थाना नं०	उत्तरदाताओं की संख्या
सुपौल	निर्मली	निर्मली	97	16

1.4 मुख्य सारांश

- कुल प्रभावित परिवारों में अधिकांश (56.25) प्रतिशत परिवार अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 37.50 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग और 6.25 प्रतिशत सामान्य वर्ग आते हैं।
- 81.25 प्रतिशत प्रभावित परिवार हिन्दू धर्म को मानने वाले और 18.75 प्रतिशत मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं।
- अधिकांश 43.75 प्रतिशत परियोजना प्रभावित व्यक्ति स्नातक है। इसके बाद क्रमशः 18.75 प्रतिशत निरक्षर, 18.75 प्रतिशत इण्टर, 6.25 प्रतिशत साक्षर, 6.25 प्रतिशत मैट्रिक, और 6.25 प्रतिशत उत्तरदाता तकनीकी शिक्षा प्राप्त किये हुए हैं।
- कुल प्रभावित परिवारों में 31.25 प्रतिशत परिवार 4 सदस्य वाले, 62.5 प्रतिशत परिवार 5–8 सदस्य वाले और 6.25 प्रतिशत 8 से अधिक सदस्यों वाले परिवार हैं।
- परिवार के कुल सदस्यों में 6.67 प्रतिशत निरक्षर, 24.44 प्रतिशत साक्षर, 10 प्रतिशत प्राथमिक, 17. 78 प्रतिशत उच्च प्राथमिक, 8.89 प्रतिशत हाई स्कूल, 7.78 प्रतिशत इण्टर,17.78 प्रतिशत स्नातक, 2.22 प्रतिशत स्नातकोत्तर और 4.44 प्रतिशत सदस्यों ने तकनीकी शिक्षा प्राप्त की है।
- 18.75 प्रतिशत परिवारों की वार्षिक आय 1,00,000 रू० तक, 18.75 प्रतिशत परिवारों की वार्षिक आय 1,00,001–2,00,000 रू०, 31.25 प्रतिशत परिवारों की वार्षिक आय 2,00,001–3,00,000 रू० और 31.25 प्रतिशत परिवारों का वार्षिक आय 3,00,000 रु० से अधिक है।
- प्रभावित परिवारों के कुल सदस्यों में 56.67 प्रतिशत सदस्य आश्रित हैं जिसमें पुरूष एवं महिलाएँ क्रमशः 29.41 एवं 70.59 प्रतिशत हैं।
- सर्वेक्षित क्षेत्र का कोई भी प्रभावित परिवार ऋणग्रस्त नहीं है।
- सर्वेक्षित मौजा में 25 प्रतिशत उत्तरदाता भूमिहीन पाये गये हैं। 12.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि खाद्य–भण्डार उनके 3 महिने की जरूरत को पूरा करता है जबकि 31.25 प्रतिशत ने (4–6 महिना), 18.75 प्रतिशत ने (7–9 महिना) और 12.5 प्रतिशत ने (10 महिना–1 साल) बताया।
- कुल प्रभावित परिवारों में अधिकांश 81.25 प्रतिशत परिवार की महिलाएँ घरेलू कार्य करती हैं। 6.25 प्रतिशत गैर कृषि मजदूरी और 12.5 प्रतिशत परिवार की महिलाएँ सरकारी नौकरी में हैं।
- अधिकांश (75 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने बताया कि परिवारिक निर्णय घर के पुरुष एवं महिला दोनों मिलकर लेते हैं। 12.5 प्रतिशत परिवारों में परिवारिक निर्णय घर के पुरुष और 12.5 प्रतिशत परिवारों में परिवारिक निर्णय के घर की महिलाएँ लेती हैं।
- सर्वेक्षित मौजा में सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक, राजनीतिक, सिविल सोसाइटी संगठन नहीं पाया गया है।
- सर्वेक्षित मौजा में 31.25 प्रतिशत परियोजना प्रभावित परिवार के सदस्यों ने प्रवास किया है।
- 37.5 प्रतिशत प्रभावित परिवार का घर प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत बना है।

- सर्वेक्षित मौजा के 56.25 प्रतिशत प्रभावित परिवार में पेयजल श्रोत के रूप में स्वयं का (निजी) बोरिंग वाटर सप्लाई है, 25 प्रतिशत परिवारों में स्वयं का (निजी) चापाकल,12.5 प्रतिशत सरकारी चापाकल और 6.25 प्रतिशत परिवार में सरकारी वाटर सप्लाई की सुविधा उपलब्ध है।
- यहाँ सार्वजनिक सम्पत्ति का नुकसान नहीं होगा। परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में कोई भी स्कूल, आँगनबाड़ी, स्वास्थ्य केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, संकुल संसाधन केन्द्र, खेल का मैदान, बाजार, धार्मिक संरचना अथवा सरकारी इमारत ध्वस्त नहीं होगा।
- परियोजना क्षेत्रों में जंगल, बाग–बगीचा और आवासीय संरचना प्रभावित नहीं होगा।

1.5 निष्कर्ष

सर्वेक्षण पर आधारित प्रयोग संबंधी निष्कर्ष निम्नलिखित हैं –

- भूमि अधिग्रहण का समग्र परिदृश्य के कारण छोटे और सीमांत किसानों की संख्या में वृद्धि होगी। दूसरी तरफ परियोजना और आसन्न विकास के अवसरों के कारण आसपास के इलाकों में भूमि की कीमत में वृद्धि हो जाएगी। इनमें से अधिकांश लोगों के लिए मुआवजा राशि से समान भू–भाग को खरीदने में कठिनाई होगी।
- अधिकांश व्यक्तियों को मुआवजे की राशि मिलने की चिंता थी। पर्यावरण उनके प्रमुख कार्यसूची (एजेंडा) में नहीं था। अधिकांश जमीन मालिकों ने इन मुद्दों को उठाया।
- सर्वेक्षित मौजा में बुनियादी सुविधाएँ (जैसेः उप–स्वास्थ्य केन्द्र, विद्यालय, सड़क, नाली, आँगनवाड़ी केन्द्र, सामुदायिक भवन, सुरक्षित पेयजल, आदि) निम्न स्तर का पाया गया है।
- इन क्षेत्रों में कृषि अधिकांश परिवारों का प्रमुख प्राथमिक व्यवसाय है। भूमि अधिग्रहण के पश्चात यहाँ कृषि पर आधारित परिवारों की संख्या में काफी गिरावट हो सकती है। कृषि का विविधीकरण और वैकल्पिक आजीविका के अवसर प्रभावित परिवारों के लिए आवश्यक है।
- अधिकांश परिवार परम्परागत कृषि और उनसे संबंधित गतिविधियों में दक्ष एवं अनुभवी हैं। किन्तु तीव्र विकास के कारण कमाई के इन कौशलों में गिरावट हो रही है। दूसरी ओर, तकनीकी और नए कौशल के माँग में वृद्धि हो रही है। तकनीकी पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण के माध्यम से इनकी स्थिति में सुधार लाया जा सकता है।
- भूमि और व्यक्ति के बिगड़ते अनुपात के कारण भूमि की उपलब्धता घट रही है जो परम्परागत खेती के लिए अनुकूल नहीं है। लोगों का झुकाव पशुधन व्यापार की दिशा में हो रहा है।
- कई मामलों में, खेती और पशुपालन एक सफल व्यवसाय के रूप में अपनाया गया है जिससे अंततः उनके पारिवारिक आय में वृद्धि हुई है।
- आगमी वर्षों में पलायन के फलस्वरूप जनसंख्या में वृद्धि के कारण इन क्षेत्रों में आवास और सामान्य स्वच्छता की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

- नगरीकरण एवं आधुनिकीकरण के कारण ग्रामीणों के सामाजिक, सांस्कृतिक और जीवन शैली में काफी बदलाव हो चुका है। इनमें से अधिकांश परिवार समकालीन आधुनिक सुविधाओं और ढ़ाँचागत परिवर्त्तन के साथ अपने घरों का उन्नयन कर चुके हैं। व्यवसाय के तरीके, रोजगार एवं शिक्षा के अवसरों में परिवर्तन के कारण कुछ परिवारों के जीवन शैली में काफी सुधार दिखाई देता है। अब, उनका ध्यान घरों की साफ–सफाई और स्वच्छता पर दृष्टिगोचर है। सरकारी प्रयास से कुछ बुनियादी ढ़ाँचे जैसे–सड़क, विद्यालय, परिवहन, आदि सेवाओं में सुधार हुआ है।
- सर्वेक्षण के दौरान सामाजिक सुरक्षा एक प्रमुख समस्या के रूप उभर कर सामने आया। बाहरी जनसंख्या में वृद्धि के कारण पुरानी सशक्त परम्परागत प्रणाली वाली संस्कृतियों में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होंगे।
- प्रस्तावित परियोजना और विकास की सम्भावनाओं की सफलता के प्रत्याशा में भूमि माफियाओं का इन क्षेत्रों में प्रवेश होगा।
- भूमि की कीमतों में अचानक वृद्धि से कुछ परिवार में पारिवारिक तनाव बढ़ा है और पारम्परिक सामाजिक लगाव भी बाधित हुआ है। सामाजिक कार्य के लिए परिवार और समूह की गतिविधियाँ अधिक दिखावटी और कम स्वैच्छिक भागीदारी के साथ महँगी गतिविधियों में बदल गया है। आसानी से उपलब्ध मनोरंजन के साधन ने परम्परागत एवं परिवर्तित जीवन शैली के बीच बड़ा अन्तर उत्पन्न कर दिया है।
- वृद्ध व्यक्ति, समाज और समुदाय में इस प्रकार के परिवर्तन को अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं। परिवर्त्तन का यह एहसास और स्पर्धा, जो उनके नियंत्रण से बाहर है, के साथ सामांजस्य करना उनके लिए कठिन है।
- परिवार की प्रमुख गतिविधियों, निर्णय, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक और रहन–सहन के स्तर में महिलाओं की भूमिका में वृद्धि हुई है। महिलाओं की सुरक्षा और उनसे जुड़ें मुद्दे प्रमुख चिन्ता के विषय होंगे।
- कुछ मामलों में कम आय और कार्य की कमी ने आजीविका के परम्परागत स्वरूप पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है और महिलाएँ नई परिस्थितियों के अनुसार इसे अपनाने में असमर्थ है। यह छोटे किसानों और गरीब श्रमिकों के संदर्भ में सत्य है जो पूरी तरह से आजीविका के लिए अपनी भूमि और श्रम पर निर्भर हैं।
- संबंधित अधिकारी मुआवजा राशि को छोड़कर भूमि अधिग्रहण के विभिन्न घटकों को उजागर करने में असफल रहे। अधिकांश स्थानीय आबादी को भूमि अधिग्रहण नीति और प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं है। इस संवादहीनता ने कई विवादों का नेतृत्व किया।

1.6 सुझाव

- मुआवजा अकेले विस्थापन के मुद्दे हल नहीं कर सकता है। इसे नगद मुआवजा और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के अन्य पहलुओं के साथ जोड़ा जाना चाहिए।
- बातचीत के परामर्श प्रक्रिया के साथ कृषि उत्पादकता और बाजार मूल्य के आधार पर अधिकतम मुआवजा के पेशकश के साथ परियोजना के लाभकारी पहलुओं की जानकारी दी जानी चाहिए।
- भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया नवपरिवर्तनकारी होनी चाहिए। भूमि अधिग्रहण की नीति, प्रक्रिया और समय जमीन मालिकों के लिए स्पष्ट होनी चाहिए और सभी हितधारकों को ससमय मुआवजा प्रदान किया जाना चाहिए।
- यहाँ सामाजिक बुनियादी ढाँचे और सुविधाओं को विकसित करने की जरूरत है। सरकार को कौशल विकास कार्यक्रमों, मार्गदर्शन, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।
- सरकार को मुआवजे की राशि के उपयोग एवं अन्य आधुनिक कृषि तकनीकों के बारे में प्रभावित व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए सेमिनार और अन्य नवपरिवर्तनकारी तरीकों का उपयोग करना चाहिए।
- भूमि अधिग्रहण के कारण उत्पन्न होने वाले मुद्दों के समाधान के लिए, विभिन्न सरकारी एजेंसियों और प्रभावित लोगों के बीच समन्वय के लिए सर्वेक्षित मौजा में एक सहायता केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिए।
- एकमुश्त मुआवजा की देखभाल और तत्काल समाधान के लिए सहज, उत्तरदायी, सक्रिय और तेजी से कार्य करने वाला एकल निष्पादन खिड़की होना चाहिए।
- नकारात्मक प्रभाव को कम करने और समुदाय के विकास हेतु सरकार को स्थानीय लोगों से परामर्श कर प्रभावित क्षेत्रों के लिए भविष्य की नीतियों का निर्माण करना चाहिए।
- सरकार को प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण स्वच्छता और ग्रामीण स्वच्छ पेयजल की योजनाओं के अर्न्तगत प्रभावित परिवारों को आवास, शौचालय, रसोई और सुरक्षित पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए।
- प्रभावित परिवारों के मध्य उनके क्षेत्रों में संचालित विभिन्न विकास कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आवश्यक कदम उठाया जाना चाहिए। यह कार्य स्थानीय मिडिया के माध्यम से और शिविरों एवं प्रदर्शनियों को लगाकर किया जा सकता है। विकास योजनाओं पर श्रवण–दृश्य चलचित्र संचार का सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है।
- समसामयिक विकास के आलोक में जिला प्रशासन को जिला स्तरीय कार्य योजना बनाना चाहिए और प्रभावित परिवारों के समग्र विकास हेतु समर्पित प्रयास किया जाना चाहिए।

- प्रभावित क्षेत्र में लघु उद्योगों की स्थापना करने से नौकरियों का सृजन और बेरोजगारी कम करने में फायदेमंद होगा। इससे निश्चित रूप से भूमि पर दबाव कम होगा।
- प्रभावित परिवारों की कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्हें बाग–बगीचा और फसल प्रबंधन के तरीकों से परिचित कराना चाहिए।
- प्रभावित परिवारों के बीच पशुपालन योजना प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- निर्माण चरण में स्थानीय कुशल एवं अकुशल कामगारों को रोजगार मिलना चाहिये जिससे उनके सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके।
- मुआवजा राशि का वितरण यथाशीघ्र प्रभावित परिवारों के मध्य होना चाहिए ताकि पारिवारिक आर्थिक समस्याओं का निदान शीध्र निकाला जा सके।
- चिकित्सा सुविधाएँ, सार्वजनिक शौचालय और जल निकासी प्रणाली, इस क्षेत्र की प्रबल समस्याएँ है।
- प्रभावित परिवारों को प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के अन्तर्गत रकवा, भूमि की श्रेणी, मुआवजा राशि आदि विवरण के साथ नोटिश जारी किया जाना चाहिए।
- सर्वेक्षित मौजा में महिला सशक्तिकरण का प्रयास किया जाना चाहिए। महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह का निर्माण कर रोजगार का सृजन किया जाना चाहिए, ताकि परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके।
- सर्वेक्षित मौजा के सर्वांगीण विकास के लिए यहाँ के सभी आन्तरिक सड़कों के मजबूतीकरण का कार्य किया जाना चाहिए।
- जन सुनवाई के दौरान प्राथमिक विद्यालय भवन के निर्माण के मुद्दे को प्रतिभागियों ने प्रमुखता से उठाया। उनके अनुसार बच्चों को खुले स्थान में पढ़ाया जा रहा है। अतः संबंधित पदाधिकारी को इस विषय पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।
- मुआवजा राशि का वितरण सक्षम पदाधिकारी के द्वारा शिविर लगाकर यथाशीघ्र प्रभावित परिवारों के मध्य किया जाना चाहिए ताकि अनावश्यक परेशानी से लाभान्वित परिवारों को राहत मिल सके।
- प्रतिभागियों के अनुसार तिलयुगा नदी पर निर्मित स्क्रू पाईप पुल जर्जर स्थिति में है। हल्के वाहनों का भी आवागमन वाधित है। अतः प्रस्तावित परियोजना (तिलयुगा नदी पर स्क्रू पाईप पुल के बगल में आर०सी०सी० पुल एवं पहुँच पथ निर्माण) का कार्य शीघ्र सम्पन्न किया जाय।